

वैदिक कालीन राज्य की शासन : व्यवस्था में “पुरोहित”

डॉ० दिनकर त्रिपाठी
असो० प्रो० एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग,
फीरोज गांधी पी०जी० कॉलेज
रायबरेली (उ० प्र०)

वैदिक कालीन राज्य की शासन व्यवस्था के सम्यक् संचालन में ‘पुरोहित’ का महत्त्वपूर्ण स्थान था। राजा के लिए राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आदि विषयों से सम्बन्धित विश्वसनीय प्रमाण के रूप में पुरोहित मूर्तिमान संविधान की भाँति होता था। राजा सभी विवादों के निर्णय में पुरोहित का ही अन्तिम रूप में परामर्श प्राप्त कर निर्णय देता था। पुरोहित के निर्देशों पर ही राजा सम्पूर्ण प्रजा की सुख शान्ति, समृद्धि और रक्षा के लिए नीति-रीति का क्रियान्वयन करता था। पुरोहित का पद स्वतंत्र होता था। इसे आचार्य एवं राजगुरु के रूप में भी मान्यता प्राप्त थी। धार्मिक विषयों पर अनिवार्य रूप में राजा इसी के निर्देश पर अपना निर्णय लेने को बाध्य होता था। ऋत्विज् और पुरोहित में पर्याप्त भिन्नता उसके पद योग्यता एवं उत्तरदायित्व की दृष्टि से है।¹ इसे पुरोधा भी कहा गया है। ब्रह्मा नामक ऋत्विज से भी इसकी पृथक्ता सिद्ध है।² जबकि कतिपय पाश्चात्य विद्वान दोनों को एक अथवा एक समान कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने वाला माना है, जिसके उदाहरणार्थ गुरु वसिष्ठ को लिए जाने के तर्क प्रस्तुत करते हैं।³ पुरोहित को परवर्ती काल में ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं।⁴ जो भी रहा हो किन्तु ऋग्वेद से प्रमाणित हो जाता है कि ब्रह्मा और पुरोहित दोनों पृथक् सत्ता प्राप्त पद नाम रहा है।⁵

पुरोहित द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था में अहं भूमिका का निर्वाह किया जाता था। इसीलिए इस पद पर सर्वविध योग्य; ज्ञानी, व्यवहार पटु, सदाचारी, परम विद्वान् और सकल गुण सम्पन्न व्यक्ति ही इस पद पर प्रतिष्ठित होता था। धर्मसूत्रकारों ने अपनी पूर्व अवस्था से चली आ रही परम्परा में प्राप्त एतद्विषयक व्यवस्था को लिखित स्वरूप प्रदान करते हुए अपनी अनुरूपता में भी निर्देशन किया है। जिनमें आचार्य गौतम ने राजा को निर्दिष्ट किया है कि वह पुरोहित पर पर उसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित करे; जो व्यक्ति विद्या सम्पन्न हो। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो। सुन्दर रूप और वाणी वाला हो। प्रौढ़ आयु वाला हो। सच्चरित्र हो। लोकानुकूल आचरण करने वाला हो। विषय भोगों की आसक्ति वाला न हो।⁶ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण के लिए आचार्य गौतम ने कहा है कि “द्वौ लोके धृतव्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः” अर्थात् राजा और वेदज्ञान परिपूर्ण ब्राह्मण ये दोनों ही लोक में व्रतों को धारण करते हैं।⁷ राजा और ज्ञानी पुरोहित के अधीन सभी स्थावर और जंगम प्राणियों की स्थिति स्वीकार्य है।⁸ बहुश्रुत ब्राह्मण पुरोहित ही राजा का समुचित मार्ग दर्शक हो सकता है। क्योंकि बहुश्रुत ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा गया है, जो लोक व्यवहार का ज्ञाता, चारों वेदों तथा उसके छः अंगों का पारंगत विद्वान होता है। तर्क, इतिहास तथा पुराणों का भी ज्ञाता होता है। 40 संस्कारों से संस्कृत हो। वर्णधर्म में नियमित यजन पूजन, अध्ययन, अध्यापन, दान तथा प्रतिग्रह में संलग्न रहने वाला तथा सामयाचारिक धर्मों में शिक्षित हो।⁹

¹ ऋग्वेद संहिता 1.1.1 सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सूरत 1957

² अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण, पृष्ठ 63, ब्लूम फील्ड, अनु० डॉ० सूर्यकान्त, चौखम्भा, वाराणसी, 1964

³ वेडिशे स्टूडियन 2.143, 3.155, ऋग्वेद संहिता 1.44.10, 1.49.6, 8.27, 10.150.5, 7.33.11

⁴ Vedic Index of Name and Subject, Vol.II, P. 9, A.A. Macdonel and A.B. Keith London, 1912.

⁵ ऋग्वेद संहिता 10.141.3, 2.24.9 अन्य प्रमाणों में ऐतरेय ब्राह्मण 3.17.2 तैत्तिरीय ब्राह्मण 27.1.2 कौषीतकि ब्राह्मण 6.13 शांखायन ब्राह्मण 4.6.9, 14.23

⁶ गौतम धर्मसूत्र 2.2.14, सम्पादक श्रीनिवासाचार्य, मैसूर, 1927

⁷ तदेव-1.8.1 तथा इसी की हरदत्त व्याख्या द्रष्टव्य है।

⁸ तदेव-1.8.2

⁹ तदेव-1.8.5-11

आचार्य बौधायन ने भी राजा को निर्दिष्ट किया है कि वह सर्वज्ञान सम्पन्न पुरोहित का वरण कर उसी के आदेशानुसार ही राज्य कार्य निष्पादन करे।¹⁰ आचार्य वसिष्ठ के मत में ब्राह्मण ही धर्म का उपदेष्टा होता है। तीनों वर्णों का आचरण ब्राह्मण से ही संचालित होता है। ब्राह्मण धर्म का उपदेश करे, व्याख्या करे। राजा को भी उसी का अनुपालन करना चाहिए।¹¹ पुरोहित की नियुक्ति राज्य संचालन, प्रजा पालन तथा क्रियमाण सत्र यागों अनुष्ठान सम्पादन के लिए आचार्य वसिष्ठ ने अनिवार्यतः विधान किया है।¹² इतना ही नहीं अपितु इन्हीं के विधान में व्यवस्था है कि न्याय कार्य हेतु पुरोहित का उत्तरदायित्व राजा से भी बढ़ कर होता है। पुरोहित को न्याय सम्बन्धी कार्य में हुई त्रुटि के लिए राजा से भी अधिक प्रायश्चित्त और उपवास करने का दण्ड जैसा विधान भी किया गया है। उदाहरणार्थ यदि दण्ड के लिए यदि योग्य व्यक्ति को त्रुटिवश छोड़ दिया जाय, तो इसके प्रायश्चित्त के रूप में राजा को एक रात्रि तो पुरोहित को तीन रात्रि तक का उपवास करने के नियम निर्दिष्ट हैं। इसी भाँति यदि अदण्णीय व्यक्ति को दण्ड दे दिए जाने पर राजा को तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करने तथा पुरोहित को कृच्छ्रव्रत जो अत्यन्त कठिन होता है को करने का विधान है।¹³ यद्यपि तत्कालीन राज्य की शासन व्यवस्था में राजा के परामर्श और सहायता के लिए अनेक विभाग और मंत्री आदि सभी की व्यवस्था होती रही, किन्तु विशेष रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों में तो एक मात्र पुरोहित ही राजा को निर्देशन करता रहा। पुरोहित की सहायता में अनेक विशिष्ट विद्वान् ब्राह्मणों की एक समिति भी होती थी। समिति का पुरोहित ही अध्यक्ष होता था। पुरोहित के निर्देशों के अनुपालन में समिति के सभी ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करते थे। सभी लोग राजा को पुरोहित के माध्यम से सहयोग करते रहे। इसीलिए विष्णु धर्म सूत्रकार ने व्यवस्था दी है कि राजा स्वयं व्यवहार न्याय के कार्य में ब्राह्मणों का साथ और सहयोग ले।¹⁴ राजा के कठिन निर्णयात्मक कार्यों में सहयोग हेतु आचार्य गौतम ने भी व्यवस्था दी है कि राजा को तीन विद्याओं में निष्णात वृद्ध ब्राह्मणों का परामर्श अवश्य लेना चाहिए।¹⁵ जो पुरोहित की अध्यक्षता में ही कार्य करते थे। पुरोहित की सहायक समिति में अनेक विभाग होते थे। विभागों के भी अध्यक्ष और सहायक विद्वान् ब्राह्मण विभिन्न विद्याओं के पारंगत आचार्य होते थे।

ज्ञातव्य तथ्य है कि पुरोहित उक्त विद्वान् ब्राह्मणों के अतिरिक्त राज ज्योतिषी नामक पद भी होता था, जो पुरोहित के निर्देशन में रहता हुआ राजा के शुभाशुभ काल को बताता था, वह राजा को शकुन अपशकुन भी बताया करता था। इसी आधार पर राजा कोई भी कार्य करता था। उसके बताए गए शुभाशुभ काल का राजा सम्मान करता था। इसी ज्योतिषी पर ही राजा का योग क्षेम निर्भर होता था।¹⁶ विष्णुधर्म सूत्रकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि ज्योतिषी के अधीन होकर ही राजा अपने सारे कार्य, गमन, आगमन आदि क्रिया करता था।¹⁷

पूर्व लिखित विवेचनों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पुरोहित एक ऐसा पद था, जिस पर आसीन विद्वान् ब्राह्मण राजा को जहाँ एक ओर धार्मिक सांस्कृतिक एवं न्याय विषयक प्रकरणों में निर्णय लेने का निर्देश प्रदान करता था, वहीं दूसरी ओर राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की मन्त्रिपरिषद् तथा ज्योतिषी जैसे प्रमुख पद पर कार्यरत व्यक्ति भी उसके अधीन कार्य करता था। पुरोहित राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन में अहं भूमिका का निर्वाह करता था। उसके बिना राजा धर्म एवं न्याय के प्रकरणों पर निर्णय नहीं ले सकता था।

¹⁰ बौधायन धर्मसूत्र 1.18.7.8 सर्वतो धुरं पुरोहितं वृणुयात्। तस्य शासने वर्तेत। डॉ० कैलेण्ड सम्पादित विब्लिओथिका इण्डिका, कलकत्ता 1904, 1913

¹¹ वसिष्ठ धर्मसूत्र 1.39-41 त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य निर्देशेन वर्तेरन्। ब्राह्मणो धर्मोन्मूढयात्। राजा चानुशिष्यवत्। सम्पादक ए०ए० फ्यूरर भण्डारकर ओरियण्टल इंस्टीट्यूट पूना 1930

¹² तदेव 19.3 तस्माद् गार्हस्थ्यनैयमिकेषु पुरोहितं दध्यात्।

¹³ तदेव 19.40.43

¹⁴ विष्णु धर्मसूत्र : 3.70 स्वयमेव व्यवहारान् पश्येद् विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सार्धम्। चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी 1963

¹⁵ गौतम धर्मसूत्र 2.2.25

¹⁶ तदेव 2.2.15.16 तदधीनमपि हि एके योगक्षेम प्रतिजानते।

¹⁷ विष्णु धर्मसूत्र 3.75 राजा सर्व कार्येषु सांवत्सरान् अधीनः स्यात्।